न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 31/2022

1– बलजीत 2–बलराम 3–हरी पिसरान रामस्वरूप जाति गूर्जर निवासी कलावटा तहसील कामां

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

2–मंगतू 3–महावीर पिसरान रामसिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम कलावटा

4–होरीलाल पुत्र भजनलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम कलावटा तहसील कामां

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 02.11.2022

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी भूमि साविक खसरा नम्बर 1427/55/0.31, 1425/55/0.15 1426/55/0.15 हैक्ट0वाके ग्राम कलावटा तहसील कामां में स्थित है । जिस के बन्दोबस्त विभाग पर नवीन खसरा नम्बर 227/836/0.31, 227/837/0.15 हैक्ट कायम किये गये है । पूर्व में साविक खसरा नम्बर 55/1 रकवा 3बीघा 16 विस्वा का था जो कि होरीलाल व कमला पिसरान भजन का हिस्सा बराबर चौथाई रामसिंह पुत्र मूला चौथाई , देवला रामस्वरूप मनोहरी पिसरान बृजलाल वहिस्सा बराबर निस्फ के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी थे । इन सभी खातेदारान ने आपसी सहमति से विभागजन किया जिसका नामन्तकरण संख्या 273 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है । औरा साबिक खसरा 55/1 को तीन टुकडों में बांट दिया जिसमें होरीलाल पुत्र भजन को 55/1 रकवा 19 विस्वा व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता रामसिंह पुत्र मूला को खसरा नम्बर 55/1 रकवा 19 विस्वा व प्रार्थीगण के पिता रामस्वरूप पुत्र बृजलाल को खसरा नम्बर 55/1 रकवा 3 बीघा 16 विस्वा को तीन जगह तो बांट दिया परन्तु लट्ठा नक्शा में कोई तरमीत नहीं की गई । रामसिंह पुत्र मूला व रामस्वरूप पुत्र बृजलाल का स्वर्गवास हो चुका है उनकी विरासत उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है । साबिक खसरा नमबर 1427/55/0.31 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी भूमि है । जिसका बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 227/836/0.31कायम किया है । जो तरफ पूरब में स्थित है । जिस पर प्रार्थी गण वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है रहकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का साबिक खसरा नम्बर 1425/55/0.15 है0 है जिसका नया खसरा नम्बर 227/0.16 है0 है जिसका नया खसरा नम्बर 227/0.16 हैक्ट है जो प्राथीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 227/836/0.31के पश्चिमं दिशा में व तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है । व अप्रार्थी संख्या 4 का साबिक खसरा नम्बर 1426/55/0.15 हैक्ट0 है जिसका नया खसरा नम्बर 227/837/0.15 हैक्ट0 है जो प्रार्थीगणी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 227/836/0.31 हैक्ट0 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 227 के उत्तर दिशा में स्थित है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 1427/55/0.15 1426/55/0.15, हैक्ट0 के नये खसरा नम्बर कायम करते समय तैयार किये गये नक्शे में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 4 के नये खसरा नम्बर 227/837/0.15 को नये नक्शा मे खिलाफ कानून खिलाफ मौका कब्जा के प्रार्थीगण केखसरा नम्बर 227/836/0.31 में दक्षिण दिशा में गलत दर्ज कर दिया है । जबकि प्रार्थी संख्या 4 का उक्त खसरा नम्बर 227/837/0.15 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 227/836 के पश्चित दिशा में स्थित है । व खसरा नम्बर 227 के उत्तर मे स्थित है । उक्त गलत इन्द्राजकी जानकारी नकल दस्तावेज लेने नी कइलरै 9.5.2022 को हुई । इससे पूर्व प्रार्थीगण को नक्शा की गलती कतइ जानकारी नहीं थी । प्रार्थीगण के खसरा नम्बर में अप्रार्थी संख्या 4 के खसरा नम्बर 227/837/0.15 हैक्ट0 नये बन्दोबस्ती नक्शा में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी हो रही है । विधि वजह प्रार्थीगण बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये नये

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज0

उनवान

बलजीत, बलराम, हरी पि0 रामस्वरूप

बनाम

राजस्थान सरकार

नक्शे में अप्रार्थी संख्या 4 के खसरा नम्बर 227/837/0.15 का मौका व कब्जानुसार दुरुस्त करा पाने के अधिकारी है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नये नक्शे को संशोधित किया जावे के अप्रार्थी संख्या 4 के खसरा नम्बर 227/837/0.15 को प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 227/836/0.31 में से संशोधित कर हाल मौका कब्जा के अनुसार खसरा नम्बर 227 के उत्तर में स्थापित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी किया गया। जरिये नोटिस तलवी अप्रार्थी नं0 2 मंगतू पुत्र रामसिंह की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान 1–कृष्णा पत्नि मंगतू 2–मोहनसिंह 3–रामनिवास 4–रवि 5–बृजेश पुत्री मंगतू को जरिये नोटिस तलबी किया गया। गैरसायला नं0 5 बाहर रहने के कारण रजिस्टर्ड तलबी किया गया। अप्रार्थी नं0 1 लगा0 4 बाबजूद सूचना के उपस्थित नही आये अप्रार्थी नं0 5 ने रजिस्टर्ड तलबी प्राप्त करने से मना किया ।

प्रार्थीगणने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी सं0 2074–77, किता–3 नकल नक्शा अक्श साविक खसरा नम्बरान व नकल नक्शा अक्श बन्दोबस्ती नकल नामान्तकरण संख्या 273 दिनाक 15.11.1977 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

अप्रार्थी नं0 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां ने जबाव पेश किया है कि खसरा नम्बर 227/0.16, 227/936/0.31 एवं 227/837/0.15 बने है। ग्राम कलावटा का साबिक खसरा नम्बर 55 में तरमीम नहीं है जिसकी नक्शा लट्‌ठा में स्थिति निम्न प्रकार है :– खसरा नम्बर 55/1 के उत्तर दक्षिण दिशा में कामां जुरहरा सड़क है। नवीन बन्दोबस्त शीट के अनुसार खातेदारों की कब्जा स्थिति निम्न प्रकार से है :– कामां से जुरहरा सडक के उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 227/0.16 हैक्टर पर मंगतू महावीर पिसरान रामसिह तथा इसके पश्चिम में खसरा नम्बर 227/836/0.31 हैक्टर बलजीत बलराम हरी पिसरान रामस्वरूप स्थित है। तथा खसरा नम्बर 227/837/0.15 हैक्टर के दक्षिण तरफ होरीलाल पुत्र भजनलाल है। मौका के अनुसार मौका कब्जा निम्न प्रकार से है :– कामां से जुरहरा सड़क की पश्चिम तरफ खसरा नम्बर 227/0.16 हैक्टर पर मंगतू महावीर पिसरान रामसिंह व जिसकी तरफ पश्चिम खसरा नम्बर 227/837/0.15 हैक्टर के दक्षिण तरफ होरीलाल पुत्र भजनलाल है। खसरा नम्बर 227/836/ 0.31 हैक्ट बलजीत बलराम हरी पिसरान रामस्वरूप कामां से जुरहरा सडक से लगा हुआ है।

प्रार्थीगण बलजीत बलराम वगैरा का कब्जा बन्दोवस्ती नक्शा में पूर्व दिशा में दर्शाया गया है। तथा मौके पर दक्षिण दिशा में कब्जा है। इसलिए मुताबिक मौका कब्जा शुद्वि किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट के अनुसार मौका के अनुसार मौका कब्ज इस प्रकार किया जाना कामां से जुरहरा सड़क की परिश्चम तरफ खसरा नम्बर227/0.16 हैक्टर पर मंगतू महावीर पिसरान रामसिंह व जिकी तरफ पश्चिम तरफ खसरा नम्बर 227/837/0.15 हैक्टर के दक्षिण तरफ होरीलाल पुत्र भजनलाल है। खसरा नम्बर 227/836/0.31 हैक्टर बलजीत बलराम हरी पिसरान रामस्वरूप कामां से जुरहरा सड़क से लगा हुआ है। जिसे शुद्व किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है कि मौका कब्जा इस प्रकार किया जाता है कि कामां से जुरहरा सडक की पश्चिम खसरा नम्बर 227/837/0.15 हैक्टर के दक्षिण तरफ होरीलाल पुत्र भजनलाल है। खसरा नम्बर 227/836/0.31 हैक्टर बलजीत बलराम हरी पिसरान रामस्वरूप कामां से जुरहरा सडक से लगा हुआ है को शुद्व किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम किया जावे। बाद तकमील तामील दाखित दफ्तर हो।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)